



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 329 राँची, बुधवार, 24 आषाढ़, 1942 (श०)
15 जुलाई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

12 जून, 2019

विषय:-राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत 132 पदों में से 66 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए झारखण्ड सशस्त्र पुलिस (जैप) और संचार एवं तकनीकी सेवाएँ की संरचना के समतुल्य 66 पदों का सृजन तथा समेकित रूप से सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति के संबंध में ।

संख्या:-02/आ.प्र.-87/2011-411/आ.प्र., -- आपदाओं के दृष्टिकोण से झारखण्ड देश का आपदा प्रवण राज्यों में से एक राज्य है। अन्य राज्यों की भाँति इसकी अपनी विशेष भौगोलिक संरचनाएँ हैं जिसके कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाएँ आते रहती हैं। आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य के त्वरित प्रबंधन के लिए राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु ज्ञापांक-802 दिनांक-24.03.2015 द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुशंसा के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प सं.-937 दिनांक 09.09.2016 द्वारा संविदा आधारित नियत मानदेय के कुल-132 पद निम्नवत् सृजित हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	पद सं.	मासिक नियत मानदेय
1	समादेष्टा	01	60,000
2	सहायक समादेष्टा	02	36,000
3	चिकित्सा पदाधिकारी	02	36,000
4	पशु चिकित्सक पदाधिकारी	02	36,000
5	निरीक्षक लिपिक	03	30,000
6	अवर निरीक्षक (स्ट्रकचरल इंजीनियर्स)	01	30,000
7	निरीक्षक कार्यपालक	05	30,000
8	अवर निरीक्षक कार्यपालक	03	30,000
9	अवर निरीक्षक संचार	03	30,000
10	हवलदार संचार	03	14,400
11	कान्सटेबल चालक	18	14,400
12	कान्सटेबल जेनरल ड्यूटी	34	14,400
13	कान्सटेबल पायोनियर (इंजीनियर्स)	02	14,400
14	कान्सटेबल लिपिक	06	14,400
15	हवलदार कार्यपालक	11	14,400
16	कान्सटेबल पारा मेडिकल	09	14,400
17	कान्सटेबल मोटर बोट आपरेटर	03	14,400
18	कान्सटेबल डाइवर्स	05	14,400
19	आई टी एकजीक्यूटिव	01	14,400
20	अवर निरीक्षक डॉग स्कवाड	01	14,400
21	कान्सटेबल डॉग हैंडलर	03	14,400
22	फौलोवर कुक	04	7,200
23	फौलोवर बार्बर	02	7,200
24	फौलोवर सफाईवाला	04	7,200
25	वासरमैन	04	7,200
	कुल-	132	

2. उक्त वर्णित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में विलम्ब को दृष्टिपथ में रखते हुए मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक-13.06.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही सं.-6 (अन्यान्य-ii) में समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु नये सिरे से पदों के सृजन की जाय।

3. उक्त वर्णित परिपेक्ष्य में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के अंतर्गत “राज्य आपदा मोचन बल” के गठन हेतु पूर्व से संविदा आधारित सृजित 132 पदों में से JAP की संरचना में उपलब्ध 66 छायापदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा परिचालन के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-954 दिनांक-26.04.2018 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1458 दिनांक-18.06.2018 में की गई अनुशंसा निम्नवत् है:-

विभाग का प्रस्तावित पद				प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा अनुशंसित पद	
क्र. स.	पदनाम	वेतनमान/एकमुश्त राशि	पदों की संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	निरीक्षक (सशस्त्र)	9300-34800 GP 4600	05	निरीक्षक (सशस्त्र)	05
2	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)	9300-34800 GP 4200	03	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)	03
3	अवर निरीक्षक (वितन्तु)	9300-34800 GP 4200	03	अवर निरीक्षक (वितन्तु)	03
4	आरक्षी (वितन्तु)	5200-20200 GP 2000	03	आरक्षी (वितन्तु)	03
5	परिवहन आरक्षी	5200-20200 GP 2000	18	परिवहन आरक्षी	18
6	सामान्य आरक्षी	5200-20200 GP 2000	34	सामान्य आरक्षी	34
	कुल-		66		66

- राज्य आपदा मोचन बल अन्तर्गत स्वीकृत समतुल्य 66 पद प्रत्यर्पित किये जायेंगे।
- सृजित पदों हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं. 660/वि. दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
- इन पदों पर JAP से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के फलस्वरूप JAP में उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति नहीं की जायेगी।

4. राज्य आपदा मोचन बल में झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ की प्रतिनियुक्ति पर निम्नांकित लाभ होंगे:-

- राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को उपयुक्त उम्र के स्वस्थ कर्मियों की सेवा झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ से प्राप्त होती रहेंगी।
- ऐसे कार्मिक पूर्व से ही प्रशिक्षित एवं अनुशासित होंगे, जिन्हें सिर्फ आपदा प्रबंधन का मूलभूत प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।
- प्रतिनियुक्त बल का विशेष परिस्थितियों में त्वरित एवं सरल प्रतिस्थापन संभव हो सकेगा।
- प्रतिनियुक्ति अवधि चक्रचालन के माध्यम से पाँच वर्षों की होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि के उपरांत उनके स्थान पर नये कार्मिक लिये जायेंगे। अतएव SDRF में सामान्यतः कार्मिक युवा होंगे।
- पाँच वर्षों के बाद झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ में वापस कार्मिकों को आपदा प्रबंधन में प्राप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ उनके पैतृक बल को भी प्राप्त होता रहेगा।
- प्रतिनियुक्त कार्मिकों को प्रोन्नति आदि में सेवा संबंधी संवर्गीय लाभ पूर्ववत् प्राप्त होता रहेगा, जिससे कार्य के प्रति उनका मनोबल बना रहेगा।

5. उक्त के आलोक में राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु संविदा आधारित नियत मानदेय के सृजित किये गए 132 पदों में से झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ की संरचना में उपलब्ध 66 पदों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र.स.	SDRF में पूर्व से स्वीकृत पद जो प्रत्यर्पित किये जाने हैं।	पद स.	JAP (संचार एवं तकनीकी सेवाएँ सहित) की संरचना में उपलब्ध समतुल्य पद
1	निरीक्षक कार्यपालक	05	निरीक्षक (सशस्त्र)
2	अवर निरीक्षक कार्यपालक	03	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)
3	अवर निरीक्षक संचार	03	अवर निरीक्षक (वितन्तु)
4	हवलदार संचार	03	आरक्षी (वितन्तु)
5	कांस्टेबल चालक	18	परिवहन आरक्षी
6	कांस्टेबल जेनरल ड्यूटी	34	सामान्य आरक्षी

6. प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-27.08.2018 को राज्य आपदा मोचन बल के गठन के निमित्त आहूत बैठक में संविदा आधारित सृजित 132 विभिन्न पदों में से जैप की संरचना में उपलब्ध 66 पदों के सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया गया कि सृजित किये जा रहे 66 पदों में अवर निरीक्षक (वितन्तु) - 03 पद एवं आरक्षी (वितन्तु) - 03 पद पर संचार (wireless) निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएँ प्राप्त की जाय एवं जैप की संरचना के समरूप सृजित किये जानेवाले वर्दीधारी 60 आरक्षी/पुलिस कर्मों के पदों पर युवा आरक्षी/पुलिस कर्मों की प्रतिनियुक्ति की जाय तथा उनके पूर्ण वेतन एवं सभी अनुमान्य भत्तों का भुगतान आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा की जाय। संविदा आधारित शेष 66 पदों पर बैठक में निर्णय लिया गया कि शेष 66 पदों पर झारखण्ड पुलिस/भारतीय सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केन्द्रीय या राज्य के विभाग/संगठनों से पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति की जाय एवं इन पदों पर प्रतिनियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा की जाय। उपरोक्त बैठक के निर्णय पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उक्त वर्णित परिपेक्ष्य में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के संलेख ज्ञापक-371 (अनु.) दिनांक 29.05.2019 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2019 के मद संख्या-12 में निम्नांकित स्वीकृति प्रदान की गई है:-

7.1. राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में झारखण्ड सशस्त्र पुलिस (जैप)/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ की प्रतिनियुक्ति निम्नवत् की जायेगी:-

(क) राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु पूर्व में संविदा आधारित सृजित 132 पदों में से 05-निरीक्षक कार्यपालक, 03-अवर निरीक्षक कार्यपालक, 03-अवर निरीक्षक संचार, 03-हवलदार संचार, 34- कॉन्स्टेबल जेनरल ड्यूटी, 18-कॉन्स्टेबल चालक पदों को प्रत्यर्पित करते हुए झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ की संरचना में उपलब्ध समतुल्य पद 05-निरीक्षक (सशस्त्र), 03-अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 03-अवर निरीक्षक (वितन्तु), 03-आरक्षी (वितन्तु), 18-परिवहन आरक्षी, 34-सामान्य आरक्षी के पदों का सृजन किया जायेगा। इन पदों पर झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ के द्वारा आपदा प्रबंधन प्रभाग के अध्याचना पर राज्य आपदा मोचन बल में प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

(ख) झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ से प्रतिनियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर उनके संवर्गीय सेवा नियमावली एवं सेवा शर्तें इत्यादि प्रभावी होंगे।

(ग) झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ से प्रतिनियुक्त होनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

(घ) प्रतिनियुक्ति अवधि चक्रचालन के माध्यम से पाँच-पाँच वर्षों की होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि के उपरांत उनके स्थान पर नये कार्मिक लिये जायेंगे।

7.2. झारखण्ड सशस्त्र पुलिस/संचार एवं तकनीकी सेवाएँ में उपलब्ध समरूप 66 पदों के सृजन के उपरांत विभागीय संकल्प सं.-937 दिनांक 09.09.2016 द्वारा राज्य आपदा मोचन बल के संविदा आधारित सृजित शेष 66 पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पदनाम	पद सं.	मासिक नियत मानदेय
1	समादेष्टा	01	60,000
2	सहायक समादेष्टा	02	36,000
3	चिकित्सा पदाधिकारी	02	36,000
4	पशु चिकित्सक पदाधिकारी	02	36,000
5	निरीक्षक लिपिक	03	30,000
6	अवर निरीक्षक (स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स)	01	30,000
7	कान्सटेबल पायोनियर (इंजीनियर्स)	02	14,400
8	कान्सटेबल लिपिक	06	14,400
9	हवलदार कार्यपालक	11	14,400
10	कान्सटेबल पारा मेडिकल	09	14,400
11	कान्सटेबल मोटर बोट ऑपरेटर	03	14,400
12	कान्सटेबल डाइवर्स	05	14,400
13	आई टी एकजीक्यूटिव	01	14,400
14	अवर निरीक्षक डॉग स्कवाड	01	14,400
15	कान्सटेबल डॉग हैंडलर	03	14,400
16	फौलोवर कुक	04	7,200
17	फौलोवर बार्बर	02	7,200
18	फौलोवर सफाईवाला	04	7,200
19	वासरमैन	04	7,200
कुल-		66	

उक्त वर्णित पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी:-

- (i) A. समादेष्टा/सहायक समादेष्टा के पद पर भारतीय पुलिस सेवा/राज्य पुलिस सेवा के समकक्ष या भारतीय थल/जल/वायु सेना/केन्द्रीय पुलिस सशस्त्र बल के समकक्ष पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा वर्णित सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर गठित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जायेगा।

- B. चिकित्सा पदाधिकारी/पशु चिकित्सक पदाधिकारी के पद पर राज्य चिकित्सा/पशु चिकित्सा सेवा या भारतीय थल/जल/वायु सेना/केन्द्रीय पुलिस सशस्त्र बल सेवा के समकक्ष चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा वर्णित सेवा/संवर्ग से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को संविदा के आधार पर गठित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जायेगा।
- C. पदाधिकारियों/कर्मचारियों/जवानों के पद पर झारखण्ड पुलिस/भारतीय थल/ जल/वायु सेना/केन्द्रीय पुलिस सशस्त्र बल के समकक्ष कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा वर्णित सेवा संवर्ग से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर गठित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ii) प्रतिनियुक्ति में बाह्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्रादि के आलोक में करते हुए वेतन एवं भत्तों का भुगतान गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा किया जायेगा।
- (iii) संविदा के आधार पर नियुक्त किये जानेवाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों/जवानों की नियुक्ति वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-4569, दिनांक-05.07.2002 के अनुरूप की जायेगी तथा उनके मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1243/वि., दिनांक-28.04.2016 के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा किया जायेगा।
- (iv) **चयन समितियाँ-** राज्य आपदा मोचन बल के संविदा आधारित उक्त वर्णित पदों पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों/जवानों की नियुक्ति हेतु निम्न वर्णित चयन समितियों के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अनुशंसा की जायेगी:-

क्रमांक	पद	चयन समिति
1	समादेष्टा, सहायक समादेष्टा, चिकित्सा पदाधिकारी एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी	अध्यक्ष - मुख्य सचिव, झारखण्ड । सदस्य- 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची। 2. महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची। 3. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची। 4. विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची-सदस्य सचिव। 5. निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची। 6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी । 7. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।

2	निरीक्षक लिपिक, निरीक्षक कार्यपालक, अवर निरीक्षक (स्ट्रकचरल इंजीनियर्स), अवर निरीक्षक (डॉग स्कावड), हवलदार (कार्यपालक), कान्सटेबल (पारा मेडिकल), कान्सटेबल (डाइवर्स, मोटर बोट ऑपरेटर, पायोनियर, डाइवर्स), कान्सटेबल (डॉग हैण्डलर्स), कॉन्सेटबल (लिपिक), आई.टी.एग्ज्युक्टिव, फॉलोवर्स (कूक, बारबर्स, सफाईवाला), वासरमैन।	अध्यक्ष - महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची। सदस्य 1. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची। 2. विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड, राँची। 3. निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची। 4. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (गृह प्रभाग) झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि (उप सचिव स्तर से अन्यून)। 5. उप सचिव/अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची - सदस्य सचिव। 6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी। 7. योजना-सह- वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।
---	---	--

7.3. आयु सीमा:- संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति में पदनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा का पालन किया जायेगा।

7.4. अन्यान्य:-

- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राज्य आपदा मोचन बल को संगठित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार अपेक्षित निर्णय/निदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु निर्गत संकल्प संख्या-937 दिनांक 09.09.2016 उक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7.5 आवर्तक व्यय:-

SDRF के लिए प्रस्तावित 25 श्रेणी के 132 पदों पर प्रतिनियुक्ति की स्थिति में वेतन पर प्रतिवर्ष कुल-5,41,29,492/- (पाँच करोड़ इकतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ बानबे) रुपये मात्र का व्यय अनुमानित है। उक्त वर्णित पदों पर प्रतिनियुक्ति के निमित्त होनेवाले व्यय आपदा प्रबंधन प्रभाग के स्थापना व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7.6 अनावर्तक व्यय:-

राज्य आपदा मोचन बल के अंतर्गत उपयोग में आने वाले वाहनों एवं उपकरणों का आकलन कर नियमानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त क्रय किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।